

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003

आदेश क्रमांक 228/विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक W0516322

विषय :- अंकलित खपत का बिल देने बाबत।

श्री अब्दुल गनी मो.इब्राहिम,
38 हम्माल वाडी,
उज्जैन म.प्र.,
विरुद्ध

-----परिवादी

कार्यपालन यंत्री (पश्चिम शहर) संभाग मप्रपक्षेविविकलि. उज्जैन,

-----उत्तरदाता

आदेश

(आज दिनांक 20.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी की ओर से श्री देवीलाल मालवीय, उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकलिमि. की ओर से श्री जी.एस.राठौर सहायक यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लेख किया गया कि उनका घरेलू सर्विस कनेक्शन क्रमांक N3276004535, स्वीकृत भार 0.7 किलो वॉट है। विन्नम निवेदन है कि मैं प्रार्थी अब्दुल गनी पिता मोहम्मद इब्राहिम -38 हम्मालवाडी उज्जैन में एक विद्युत कनेक्शन है जिसका प्रकरण क्रमांक W0516322 है। इस विद्युत कनेक्शन का मीटर कुछ अधिक तेज चल रहा है तथा तेज चलने के कारण रीडिंग ज्यादा बना रहा है, जब कि अभी दिनांक 27.03.2022 को जो पंचनामा बनाया गया। पंचनामा क्रमांक 17/6515 है। इसमें विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा परिसर का लोड 256 वॉट बताया जा रहा है। जब कि मीटर 400 रीडिंग से भी ज्यादा प्रतिमाह खपत बता रहा है जब कि शंकर पुरा स्थित लेब में मीटर सही बताया गया। पंचनामा सही बनाया गया है तो उस हिसाब से मुझे उचित राशि का विद्युत बिल दिये जाने की कृपा करे। श्रीमान से सेवा में विन्नम निवेदन है कि मीटर टेस्टिंग में मीटर परीक्षण के दौरान प्रारंभिक रीडिंग एवं H1 के बीच बड़ा अंतर पाया गया। बड़ा अन्तर पाया गया है। पूर्व में जो मीटर लगा था वह मीटर रीडिंग सही नहीं बता रहा है। अतः आप से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर ध्यान देकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। संलग्न:- 1. मीटर लेब परीक्षण की फोटोकॉपी। 2. पास बुक की फोटोकॉपी।

विपक्ष का कथन :-

विपक्ष द्वारा लेख किया गया है कि, उपरोक्त विषयांगत लेख है कि उपभोक्ता श्री अब्दुल गनी मोहम्मद इब्राहिम निवास- 38 हम्मालवाडी उज्जैन विद्युत कनेक्शन सर्विस क्रमांक N3276004535, के द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में बिल सुधार करने के लिये शिकायत उपभोक्ता फोरम में प्रकरण क्रमांक W0516322 की गई है। उपभोक्ता के बिलिंग डाटा का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता को प्रतिमाह पी.एम.आर. डाटा के आधार पर वास्तविक खपत की ही बिलिंग हुई है। फोटो मीटर रीडिंग आधारित माह अप्रैल-2022 में मीटर डायल 21880 kwh, मई-22 में 22387 kwh, तथा जून-22 में दिनांक 15.06.2022 को मीटर डायल 23016 kwh, फोटो में सुस्पष्ट दिख रही है। अतएव बिल प्रतिमाह PMR के आधार पर वास्तविक मीटर खपत के आधार पर ही जारी हुये हैं। कार्यालीन उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि बिलिंग माह फरवरी-2016 से मई-2022 में वास्तविक मीटर खपत की बिलिंग ही हुई है, कोई आंकलित खपत की बिलिंग उक्त अवधि में उपभोक्ता को नहीं है। अवलोकनार्थ पासबुक तथा बिलिंग डाटा की प्रति संलग्न है। शिकायत उपरांत माननीय फोरम के आदेश पर मीटर की LTMT LAB में दिनांक 21.07.2022 को टेस्टिंग हेतु उपभोक्ता को अवगत कराया गया परन्तु उपभोक्ता टेस्टिंग हेतु नहीं आये जिसकी रिपोर्ट तथा प्रतिस्थापित मीटर डिस्पोजल अवलोकनार्थ संलग्न है। जिसके बाद दिनांक 26.07.2022 को LTMT LAB मीटर टेस्टिंग करवायी गई जिसकी रिपोर्ट संलग्न है तथा प्रतिस्थापित मीटर डिस्पोजल अवलोकनार्थ संलग्न है। उक्त प्रकरण में माननीय फोरम के आदेश अनुसार आज दिनांक जिसके उपरांत घरेलू सर्विस क्रमांक N3276004535 का झोन प्रभारी द्वारा दिनांक 18.08.2022 को मौके का भौतिक निरीक्षण किया गया तथा परिसर पर मीटर नंबर 558823 क्षमता-05*30 मेक- AEW लगा हुआ है फीट है परिसर पर पाया गया लोड सी.एफ.एल. 06 नं., टी.वी. नं., 01 नं. एग्जस्ट फेन 01 नं., पंखा 03 नं. पाया गया। मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट। 2. मीटर डिस्पोजल। 3. बिलिंग पासबुक। 4. PMR फोटो रीडिंग।

विधिक प्रावधान :-

म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के अध्याय आठ की कण्डिका 8.35 के अनुसार :-

8.35 जिस अवधि में मापयन्त्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा

(अ) यदि जांच मापयंत्र (check meter) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (reading) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।

(ब) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन-चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ-साथ उपभोक्ता के लिये भी

अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

(स) अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर अनन्तिम देयक (provisional bill) जारी कर सकेगा जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्वधीन होगा।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :-

परिवादी के स्वीकृत भार 700 वॉट से अधिक खपत औसत 600 यूनिट लगभग की राशि पर आपत्ति दर्ज की है विपक्ष ने कथन में बताया है कि परिवादी के परिसर का संयोजित भार दिनांक 18.08.2022 को जाँच में 650 वॉट पाया है। मीटर रीडिंग की PMR माह अप्रैल-22 में 21880 मई-22 में 22387 जून-22 में 23016 के अनुसार बिलिंग किया है तथा माह फरवरी-16 से मई-22 तक वास्तविक मीटर खपत की बिलिंग ही हुई है।

उभयपक्षों के कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि परिवादी का स्वीकृत भार 700 वॉट तथा संयोजित भार 650 वॉट है मीटर टेस्टिंग में पाये गये परिणामों से त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली परिलक्षित होती है। बिलिंग विवरण अनुसार माह मई-19 से अप्रैल-22 तक औसत खपत लगभग 500 यूनिट है जो कि अप्रैल-19 के पूर्व औसत खपत लगभग 160 यूनिट से अत्यधिक है जो कि मीटर की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण अत्यधिक एवं अवास्तविक है को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर विधिक प्रावधान 8.35 के अनुसार नये मीटर को प्रथम तीन माह की औसत खपत के आधार पर माह मई-19 से अप्रैल-22 तक का संशोधित देयक जारी किया जाना चाहिये। एवं आदेश का पालन होने तक का तत्संबंधी अधिभार हटाया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में उल्लेखानुसार, परिवादी का स्वीकृत भार 700 वॉट तथा संयोजित भार 650 वॉट है मीटर टेस्टिंग में पाये गये परिणामों से त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली परिलक्षित होती है। बिलिंग विवरण अनुसार माह मई-19 से अप्रैल-22 तक औसत खपत लगभग 500 यूनिट है जो कि अप्रैल-19 के पूर्व औसत खपत लगभग 160 यूनिट से अत्यधिक है जो कि मीटर की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण अत्यधिक एवं अवास्तविक है को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर विधिक प्रावधान 8.35 के अनुसार नये मीटर को प्रथम तीन माह की औसत खपत के आधार पर माह मई-19 से अप्रैल-22 तक

का संशोधित देयक जारी किया जावे। एवं आदेश का पालन होने तक का तत्संबंधी अधिभार हटाया जावे।

03/ मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 के अध्याय 3 की कण्डिका 3.29 में दिये गये प्रावधान के अनुसार विपक्ष फोरम के आदेश का अनुपालन आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करें।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल के.कट्टर),
सदस्य

(एन.एस.मंडलोई)
सदस्य

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
अध्यक्ष